न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 56/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/77

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	सुधीर पुत्र महावीर प्रसाद जैन, मैसर्स शुभम ट्रेडर्स, 28 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया, बॉसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12–12–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक **25–11–2022** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **10–02–2022** को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **शुभम ट्रेडर्स, 28 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **सुधीर पुत्र महावीर प्रसाद जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **मैदा** आम जन को खाद्य सामग्री निर्माण रखा हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **दो किलोग्राम मैदा पैक टीन** से वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 50 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **दो किलोग्राम मैदा** को चार साफ सुखे खाली चौडे मुह के जार में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/88–89 दिनांक 15.03.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 192 दिनांक 28.02.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **मैदा** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड पाये गये **मैदा** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 28–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12.12.2022 को अभियुक्त **सुधीर पुत्र महावीर प्रसाद जैन, मैसर्स शुभम ट्रेडर्स, 28 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया, बॉसवाडा** ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/88–89 दिनांक 15.03.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 192 दिनांक 28.0[illegible].2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **मैदा** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड पाये गये **मैदा** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सवस्टैण्डर्ड किया **मैदा** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **सुधीर पुत्र महावीर प्रसाद जैन, मैसर्स शुभम ट्रेडर्स, 28 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया, बॉसवाडा को 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner